

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक--:प.1(1)कार्मिक/अवकाश/2019/376

दिनांक :- 29/4/19

कार्यालय आदेश

मजदूर दिवस के उपलक्ष में राजस्थान आवासन मण्डल के उन श्रमिकों के लिये जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों की परिभाषा में आते हैं, के लिये दिनांक 01.05.2019 का सर्वैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यह अवकाश नवीन वेतनमान, संशोधित वेतनमान-2017 के अनुसार लेवल-11 पे मेट्रिक्स 37800-119700 तक लागू होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजीव जैत)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मं, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.मं, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता.....रा.आ.मं.....।
4. निदेशक विधि/मुख्य संपदा प्रबन्धक/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/उप सचिव/विशेषाधिकारी (भूमि)/संपदा प्रबन्धक (मुख्यालय/भूमि), रा.आ.मं, जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... रा.आ.मं,.....।
6. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... रा.आ.मं,.....।
7. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय-..... रा.आ.मं,.....।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

रु.६०१
वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक